CERTIFICATE OF RECOGNITION DPO (SSA) Muzaffarfalous

(Name & Address of the issuing authority)

NO. AIE/1831/BEP-MUZ

Date: 26 . 10 . 2027

(Name & Address of the school) New Address of the school)

Sir/ Madam,

Recognition Certificate for the school under Right Lo Ed walliam -RTE, 2009 seat: (Rule/ sub-rule of the State Act/ Rules).

Ref:

With reference to your application dated 22.6.22... and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to 22: 6: 22-to 22-6-2025 (Name & Address of school) for class I to VIII standard for the period (no. of years) from the academic year 26.22 to ... to ... in compliance to section 18 of Right of (State Act/ Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

- 1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year 2022 to 2025 and is to be renewed at an interval of every three years
- 2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
- 3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the RTC 2009 Act 18 (State Education Act/
- 4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of 25.. (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
- 5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

Mithanpura Narayanpur Road Muzaffarpur

PRESIDENT WWW. Indraprastha International School Mithanpura-Narayanpur Road Muzaffarpur

- The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
- 7. The school shall not deny admission to any child, -
 - For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
 - b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
- 8. The school shall ensure that,
 - a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
 - b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
 - No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
 - d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the (rule/ clause of State Act).
- The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
- 10. The school shall maintain the standards and norms as specified in (rule/ clause of the state Act).
- 11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
- 12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
- 14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
- 15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
- 16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school,

17. (language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under(concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.

BP INTERNATIONAL SCHOOL
Michangura Narnyanpur Road
Michangura Narnyanpur Road
Michangura Narnyanpur

BP Indraprastha International School Mithanpura-Narayanpur Road Muzaffarpur

- 18. The school shall abided by the provisions of the (State Act/ Rules).
- 19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.
- 20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or administration by the authorities.
- 21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this DPO CCA Mass. (Name & Address of the certificate issuing authority).
- 22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department form time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall administration of the school.
- 23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule or the conditions of recognition are found and proved.
- 24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the(Concerned State Authority).

Seal & Signature of issuing authority

Name & Address of issuing authority

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

BP MANAGER
Indraprasha INTERNATIONAL SCHOOL
Mithanpura-Narayanpur Road

PRESIDENT:

BP
Indraprastha International School
Mithanpura-Narayanpur Road
Muzaffarpur



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | MUZAFFARPUR शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना שוועו עודע

45tos- AZE / 818 /BEP-MY2.

अध्यक्ष । व्यवस्थापक । प्रवंधक

BP INDRAPRASTHA INTERNATIONAL SCHOOL

MITHANPURA NARAYANPUR ROAD



विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावती के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय.

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 27-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 22-06-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय BP INDRAPRASTHA INTERNATIONAL SCHOOL, MITHANPURA NARAYANPUR ROAD. MUZAFFARPUR, 842002 को कक्षा 1 से 8 तक संवालन हेतु तीन वर्षा 22-06-2022 से 22-6-2025 अवधि के लिए औपवंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

पदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

- 1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के वाहर मान्य नहीं होगी।
- 2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे
- 3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ौस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- 4. कंडिका 3 में उप्दत बर्चों के मामते में विद्यालय को बर्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राया की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
- 5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया
- 6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपतव्यता नामांकन की विस्तारित अवधि के वाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
- 7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :
 - (1) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।
 - (॥) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।
 - (iii) किसी भी बच्चे को ग्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड प्रीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।
 - (V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।
 - (VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया प्यूरायप्र
 - (VIII) शिक्षक अधिनियम क्री धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवर्धा का अनुसरण करेगा ।

📆 🕝 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

Indraprastha International School Mithanpura-N

१७. विद्यालय आधानयम का घार। १५ म उद्भृत मानका एव मानदङ। का वरकरार रखगा। विद्यालय के जातम ।नराक्षण क समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण ।नग्नविक

- (1) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 4414 डिसमिल
- (॥) कुल निर्मित क्षेत्र :- 4414 डिसमिल
- (III) खेल के मैदान क क्षेत्र :- INDOOR AND OUTDOOR GAME, WELL MAINTAINED CLASS ROOMS, CC TV, SMART CLASSES, SEPERATE

TOILETS FOR BOYS AND GIRLS.

- (iV) वर्ग कक्षों की कुस संख्या :- 18
- (V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 5
- (VI) बालक तथा वालिकाओं के लिये अलग-अलग शोबालय :- Indian , Boys :- 6 , Girls 4
- (VII) पेयजत की सुविधा :- 02
- (VIII) मध्याह भोजन के लिये रसोई घर :- 1
- (IX) बाधारहित पहुँच,[]:-
- (X) शिक्षण अधिगम सामग्री। खेल-कुद उपकरण। पुस्तकालय :- SMART CLASSES, INTERNET, BOOKS ETC. , CARROM, LUDO, BADMINTON, FOOTBALL, CRICKET ETC. , (Y , 227 , NewsPaper MagaZine:-86)
- 11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या वाहर विद्यालय के नाम से संचातित नहीं होगा ।
- 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।
- 13. विद्यालय सोसाईटी रिजस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निवंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी यब्विक ट्रस्ट के माध्यम से संवातित होगा ।
- 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।
- 15. तेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त तेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक तेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
- 16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [21612122021927094256, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रेकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्भृत किया जाए ।
- 17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्वर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिधितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 18. यदि सोसाईटी के निवंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
- 19. अनुलग्नक ॥। के रूप में संलग्न अन्य शार्ते

NOG LETTER

MANAGER

Maraprastha INTERNATIONAL SCHOOL

Mithanpura-Narayanpur Road

Muzaffarpur

Suman Kuman PRESIDENT

BP Indraprastha International School Mithanpura-Narayanpur Road Muzaffarpur